बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ0 नि0 को0 दिनांक-07 अप्रैल 2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला अपर आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन), बिहार

सभी जिला पुलिस अधीक्षक, बिहार

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षाऔर संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :- **(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016**

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च,2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।

(3) कार्यालय का पत्रांक-744/आ0नि0को0 दि0-24.03.2020 तथा दिनांक-07.04.2020 को अपराह्न 01 से 02 बजे के मध्य सभी सहायक निदेशकों के साथ सम्पादित विडियों कान्फ्रेन्सिंग के दौरान प्रदत्त निदेश।

महाशय,

कृपया उपर्युक्त वर्णित विषय का संदर्भ ग्रहण करें। यह पत्र कोविड19 **(COVID-19)** महामारी की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के विषय में है। आप अवगत है कि कोविड19 **(COVID-19)** के प्रकोप और तेजी से फैलने की इसकी प्रवृति के कारण उत्पन्न आपदा स्थिति की वजह से गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक-24 मार्च, 2020 को निर्गत अधिसूचना के तहत 21 दिनों की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। कोविड19 **(COVID-19)** महामारी पूरी जनता को प्रभावित कर रहा है। परन्तु दिव्यांगजनों के विविध कारणों यथा शारीरिक, संवेदी व ज्ञान संबंधी सीमा, स्वास्थ्य स्थितियों इत्यादि की वजह से इसके चपेट के आने की संभावना ज्यादा है। इस आलोक में इस संकट की स्थिति के दौरान उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनकी दिव्यांगता, विशिष्ट आवश्यकताओं, दैनिक जीवन की गतिविधियों को समझने और उपयुक्त एवं समयोचित उपाय करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने कोविड19 **(COVID-19)** के कारण उत्पन्न गंभीर स्थितियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है तथा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के तहत आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए हैं। दिव्यांगजनों के लिए समान सुरक्षा व संरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।

इस क्रम में कार्यालय के पत्रांक-744/आ0नि0को0 दि0-24.03.2020 के तहत आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा दिनांक-07.04.2020 को अपराह्न 01 से 02 बजे के मध्य सभी सहायक निदेशकों के साथ सम्पादित विडियों कान्फ्रेन्सिंग के दौरान भी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। विदित हो कि लॉकडाउन के प्रारंभ से ही दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में स्थिति की मॉनिटिरिंग अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय/गृह स्थल से ही की जा रही है। इस सम्बन्ध में हेल्पलाइन नं0-8448385590 जारी किया जा चुका है, जिसके द्वारा भी स्थिति की मॉनिटिरिंग की जा रही है।

कृ0पृ0उ0..........

विदित है कि जिला पदाधिकारी-सह-जिला अपर आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) को संबंधित जिले हेतु अपर आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) नामित किया गया है तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को दिव्यांगजनों हेतु संबंधित जिले के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

उपर्युक्त क्रम में कोविड19 (**COVID-19**) के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में निम्न उपाय सुझाए जाते ह :-

(1) सभी दिव्यांगजनों की कोविड19 (**COVID-19**) के विरूद्ध सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित की जानी है।

(2) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यू0डी0आई0डी0 कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को दिव्यांगजनों के संबंध में अधिकारिक प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य किया जाना चाहिए।

(3) कोविड19, दी जाने वाली सेवाओं और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सभी जानकारी सरल और स्थानीय भाषा में सुगम्य रूपों में तथा सार्वजनिक प्रतिबंध योजनाओं, प्रस्तुत की गई सेवाओं से संबंधित सभी जानकारी स्थानीय भाषाओं में सुगम्य प्रारूपों में उपलब्ध हैं।

(4) आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को दिव्यांगजनों के अधिकारों और विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त समस्याओं से जुड़े जोखिमों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(5) दिव्यांगजनों के समर्थन में प्रासंगिक जानकारी सभी जागरूकता अभियानों का एक हिस्सा होनी चाहिए।

(6) अलग रखने की अवधि (क्वरनटाइन) के दौरान, देखभालकर्ता की सहायता पर निर्भर दृष्टि दिव्यांगों, बौद्धिक/ मानसिक दिव्यांगता (मानसिक-सामाजिक) वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता सेवाएं, व्यक्तिगत सहायता और शारीरिक तथा संचार सुगम्यता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन अपनी व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों में आई खराबी के सुधार के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(7) आपातकालीन और स्वास्थ्य सेटिंग्स में काम करने वाले सांकेतिक भाषा दुभाषियों को कोविड 19 से निपटने वाले अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के समान ही स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(8) दिव्यांगजनों की देखभाल करने वालों को लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से छूट देकर या प्राथमिकता पर आसान तरीके से पास प्रदान करके दिव्यांगजनों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(9) न्यनूतम मानव संपर्क वाले दिव्यांगजनों के लिए समर्थन सेवाएं बनी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए, उनकी देखभाल करने वालों की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रचार की आवश्यकता है।

(10) आवसीय कल्याण संघों (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों) को दिव्यांगजनों की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि उचित सैनिटाइजिंग प्रक्रिया का पालन करने के बाद नौकरानी, देखभाल करने वाले और अन्य सहायता प्रदाताओं को उनके निवास में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके।

(11) दिव्यांगजनों को आवश्यक भोजन, पानी, दवा तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए और जहां तक संभव हो, ऐसी वस्तुओं को उनके निवास स्थान या उस स्थान पर पहुंचाया जाना चाहिए जहां उन्हें क्वरनटाइन किया गया है।

(12) दिव्यांगजनों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सुपर बाजारों सहित किराने की दुकानें खोलने का विशिष्ट समय निर्धारित करने पर विचार कर सकते हैं।

(13) दिव्यांगजनों के लिए क्वरनटाइन के दौरान उनके सहयोग के लिए सहकर्मी नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है।

(14) आपातकालीन अवधि के दौरान जिन दिव्यांगजनों को यात्रा पास दिया जाना है, उनकी दिव्यांगता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें जागरूक भी किया जाना चाहिए।

कृ0पृ0उ0..........

(15) दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दिए जाने के बजाए उनका उपचार करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिव्यांग बच्चों और महिलाओं के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
(16) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में दृष्टि दिव्यांग और अन्य गंभीर दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान आवश्यक रूप से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि वे आसानी से संक्रमित हो सकते हैं।
(17) क्वरनटाइन की अवधि से निपटने के लिए दिव्यांगजनों के साथ-साथ उनके परिवारों को तनावमुक्त करने के लिए ऑन-लाइन परामर्श तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
(18) सांकेतिक भाषा व्याख्या और वीडियो कॉलिंग की सुविधाओं के साथ विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए जिला स्तर पर 24X7 हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाए, जिस प्रकार की राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 8448385590 के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त की जा रही है।
(19) दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए कोविड 19 पर सूचना सामग्री तैयार करने और इसका प्रसार करने में दिव्यांगजनों के संगठन को शामिल किया जाए।
(20) जिला पदाधिकारी एवम सहायक निदेशक के पास जिले के दिव्यांगजनों की एक सूची होनी चाहिए और उन्हें समय-समय पर उनकी आवश्यकताओं की निगरानी करनी चाहिए तथा उनके पास उन दिव्यांगजनों की एक अलग सूची होनी चाहिए जिन्हें उस इलाके में अधिक सहायता की आवश्यकता है।
(21) जिला पदाधिकारी उपलब्ध संसाधनों के भीतर मामले को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है और यदि आवश्यक हो तो वो गैर-सरकारी व सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों/आवासीय कल्याण संघों की भी मदद ले सकते है। इस कार्यालय से पंजीकृत गैर-सरकारी व सरकारी संगठनों की सूची कार्यालय की बेवसाईट पर उपलब्ध है। यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करने वाले संगठनों को लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से छूट देकर या प्राथमिकता पर आसान तरीके से पास प्रदान करके दिव्यांगजनों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए।
(22) स्थानीय स्वशासन के सहयोग से आवश्यक खाद्य, जल, दवा, सामाजिक सुरक्षा व राहत राशि/सामग्री की पूर्ति करायी जा सकती है।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता दिव्यांगजन कार्यालय को ई-मेल email-scdisability2008@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
07.04.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ०नि०को० दिनांक-07 अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

07.04.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ० नि० को० दिनांक-07 अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-सभी सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित दिशानिर्देश बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.04.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ030............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ0 नि0 को0 दिनांक-07 अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित दिशानिर्देश बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.04.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ0 नि0 को0 दिनांक-07 अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित दिशानिर्देश बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.04.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ0 नि0 को0 दिनांक-07 अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

07.04.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ0 नि0 को0 दिनांक-07 अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

07.04.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ0 नि0 को0 दिनांक-07 अप्रैल'2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 के विषय में जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

07.04.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।